16/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने
के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ
अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में
लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने
का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी
गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली
का अध्ययन अवलोकन किया गया। लिखित
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे ~~[illegible]~~ प्रतीत
होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है
अत: बेरूबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1 ईनायत पत्नी सतार 2 ऐसान पुत्र अबरीम 3 दोसु पुत्र अबरीम 4 मलार पुत्र अबरीम 5 अमीर पुत्र अबरीम 6 कमीर पुत्र सीदीक 7 मोती पुत्र सीदीक 8 आहमद पुत्र सीदीक 9 जाम पुत्र सीदीक 10 जामो पत्नी आदम 11 रसुल पुत्र आदम 12 सलीम पुत्र आदम 13 फती पत्नी हासम 14 मुकीमा पत्नी हाला 15 मारूफ सतार 16 वरियम पुत्र हाला 17 बिलाल पुत्र सतार 18 सुमार पुत्र सतार 19 सलीम पुत्र सतार 20 हामीद पुत्र हाला जाति मुसलमान निवासी ईटादिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर	बनाम	1 कादर पुत्र सोबदार 2 मिश्रीखान पुत्र सोबदार 3 हकीम पुत्र गनु 4 समारं पत्नी अमीर 5 इमाम पुत्र आदम 6 नमी पुत्र आदम 7 जिमान पुत्र आदम 8 जुसब पुत्र जाम 9 कायम पुत्र अलीखां 10 पठान पुत्र अलीखां 11 अमीर पुत्र जाम 12 कबूल पुत्र साहमीर 13 खिवा पत्नी मुहीब 14 अमीर पुत्र अबरिम 15 मलार पुत्र अबरीम 16 दोसु पुत्र अबरीम 17 एहसान पुत्र अबरीम 18 असाकर पुत्र रहीम 19 नबाब पुत्र रहीम 20 सिकेदर पुत्र रहीम 21 जलाल पुत्र रहीम 22 इसाक पुत्र रहीम 23 मुसा पुत्र रहीम 24 सिरा पुत्र रहीम 25 माली पत्नी रहीम 26 बहादुर पुत्र अलु 28 हाकम पुत्र मुहीब 29 मासवन पुत्र मुहीब 30 सिकेदार पुत्र मुहीब 31 मामी पुत्र मुहीब 32 कमाल पुत्र मुहीब 33 रहीम पुत्र कासम 34 मोहबत पुत्र मोबता 35 मुबारक पुत्र इब्राहीम 36 आहमद पुत्र मोबता 37 हमी पुत्र कासम 38 हकीम पुत्र इब्राहीम 39 सती पत्नी कासम जाति मुसलमान निवासी इटादा तहसील धनाऊ 40 आसुराम पुत्र इदाराम 41 धीराराम पुत्र इदाराम 42 मलुका पुत्र सवता 43 हरचन्द पुत्र सवता 44 जोधा पुत्र मगा 45 दिना पुत्र मगा 46 मारता पुत्र मगा जाति भील निवासी इटादा तहसील धनाऊ 47 गेरदीन पुत्र हबीब जाति मुसलमान निवासी लखानी की गफन तहसील चौहटन 48 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम बास्ते मेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 418/2022 दिनांक : 16/04/23

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र ईटादा भू.अ.नि. क्षेत्र बीजासर के मौजा इटादा के खेत खसरा संख्या 877/154 रकबा 9.6396 हैक्ट. खसरा संख्या 879/155 रकबा 2.9056 हैक्ट. खसरा संख्या 878/154 रकबा 1.4811 हैक्ट. खसरा संख्या 880/155 रकबा 0.4452 हैक्ट किस्म बा.दो के चारों तरफ पक्के मेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को तिथि को तिथि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा मेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। मेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर मेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही मेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

मेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(राम...ई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/ 754-56
दिनांक 24/04/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी ईनायत पत्नी सतार वगैरा
3. विप्रार्थीगण कादर पुत्र सोबदार वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 418/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
लक्ष्मी वगैरा बनाम शकुर वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री हासम खान

निर्णय

दिनांक – 16/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र ईटादा भू.अ.नि. क्षेत्र बींजासर के मौजा इटादा के खेत खसरा संख्या 877/154 रकबा 9.6396 हैक्ट. खसरा संख्या 879/155 रकबा 2.9056 हैक्ट. खसरा संख्या 878/154 रकबा 1.4811 हैक्ट. खसरा संख्या 880/155 रकबा 0.4452 हैक्ट किस्म बा.दो स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र ईटादा भू.अ.नि. क्षेत्र बींजासर के मौजा ईटादा के खेत खसरा संख्या 877/154 रकबा 9.6396 हैक्ट. खसरा संख्या 879/155 रकबा 2.9056 हैक्ट. खसरा संख्या 878/154 रकबा 1.4811 हैक्ट. खसरा संख्या 880/155 रकबा 0.4452 हैक्ट किस्म बा.दो स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।
तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.04.23....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी,सेड़वा